<u>संख्या-37/2015/463/47-का-3-2015-13/16/2015</u>

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2015**

विषय - डी0ओ0ई0ए0सी0सी0(डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र की समकक्षता <u>निर्धारित किए जाने के संबंध में</u>।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-123/परीक्षा अनुभाग/ आयोग/2015/06/2015, दिनांक 24.02.2015 के संदर्भ में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संबंध में शासन द्वारा लिए गये निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/ शिक्षा बोर्ड/ परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय लिया गया हो।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गयी हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/ आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2- अनुरोध है कि कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों / परिषदों आदि का विवरण संलग्न है।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीय

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-37/2015/463(1)/47-का-3-2015-13/16/2015, तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि,

1- कार्मिक अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार शासनादेश निर्गत करने हेतु कार्मिक अनुभाग-3 की सुसंगत पत्रावली पर लिए गये निर्णय से संबंधित पृष्ठों की छायाप्रतियों के साथ प्रेषित।

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(बाबू राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in